बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

आदेश

संख्याः–कारा/प्रो0 (स्था0)–10–66/14.....224.....पटना, दिनांक–.....03/8/2016।

विभागीय अधिसूचना संख्या–33 दिनांक–28.02.2013 एवं अधिसूचना संख्या–103 दिनांक–17.03.2015 के द्वारा बिहार प्रोबेशन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को दिनांक–01.01.2009 के प्रभाव से उच्चतर ग्रेड पे में प्रथम रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन प्रदान किया गया था।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या–504 दिनांक–16.01.2014 द्वारा ए0सी0पी0 नियमावली, 2003 के अन्तर्गत देय वित्तीय उन्नयन की अवधि दिनांक–12.07.2010 तक विस्तारित की गयी है। उक्त संकल्प की कंडिका–4 में स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मियों की सेवा दिनांक–12.07.2010 तक 12/24 वर्ष पूरी हो जाती है, उन्हें ए0सी0पी0 नियमावली, 2003 के आलोक में प्रोन्नति के पद सोपान में वित्तीय उन्नयन अनुमान्य होगा।

इस संदर्भ में निम्न तालिका में उल्लेखित प्रोबेशन पदाधिकारियों द्वारा उन्हें प्रदत्त एम0ए0सी0पी0 को वित्त विभाग के संकल्प संख्या–504 दिनांक–16.01.2014 के आलोक में ए0सी0पी0 में सम्परिवर्तन करने हेतु आवेदन दिया गया था, जिसपर निर्णय विचाराधीन था।

सम्यक् विचारोपरांत बिहार प्रोबेशन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को ए0सी0पी0 नियमावली, 2003 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–504 दिनांक–16.01.2014 के आलोक में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत उनके नाम के आगे अंकित 12 वर्ष की सेवा की पूर्णता तिथि से प्रोन्नति के पद सोपान प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी के पे बैंड+ग्रेड पे में प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क्र0 स0	पदा0 का नाम/ पदनाम / तत्कालीन वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	नियुक्ति की तिथि	12 वर्ष सेवा पूर्णता की तिथि	प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि	स्वीकृत ग्रेड वेतन एवं पे बैंड	वित्त विभाग के संकल्प संख्या 7201, दिनांक –19.08.15 एवं 8241 दिनांक–21.09.15 के आलोक में 19.06.2014 की तिथि से स्वीकृत वेतन एवं ग्रेड पे
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री संजय कुमार सिंह, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, शेखपुरा। वेतन बैंड–2, 9300–34800, ग्रेड वेतन–4200 (पुनरीक्षित)	04.09.1997	04.09.2009	04.09.2009	PB–2, ग्रेड पे–4600/-	PB-3, ग्रेड पे–6600/-
2.	श्री फिरोज अहमद, प्रोबेशन पदाधिकारी मुख्यालय वेतन बैंड–2, 9300–34800, ग्रेड वेतन–4200 (पुनरीक्षित)	12.09.1997	12.09.2009	12.09.2009	PB–2, ग्रेड पे–4600/-	PB-3, ग्रेड पे–6600/-
3	श्री अनिल कुमार, प्रोबेशन पदाधिकारी मुख्यालय वेतन बैंड–2, 9300–34800, ग्रेड वेतन–4200 (पुनरीक्षित)	05.09.1997	5.09.2009	5.09.2009	PB–2, ग्रेड पे–4600/-	PB-3, ग्रेड पे–6600/-

D/-PINKU/-manjhi sir/-ADSUCHAN-27.04.2016

4	श्री गंगा सागर प्रसाद, प्रोबेशन पदाधिकारी जिला प्रोबेशन कार्यालय, शिवहर। वेतन बैंड–2, 9300–34800, ग्रेड वेतन–4200 (पुनरीक्षित)	23.08.1997	23.08.2009	23.08.2009	PB–2, ग्रेड पे–4600/-	PB-3, ग्रेड पे–6600/-
5	श्री तनवीर अंजुम, प्रोबेशन पदाधिकारी अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय, बेनीपुर। वेतन बैंड–2, 9300–34800, ग्रेड वेतन–4200 (पुनरीक्षित)	15.09.1997	15.09.2009	15.09.2009	PB–2, ग्रेड पे–4600/-	PB-3, ग्रेड पे–6600/-
6	श्री ओम प्रकाश माँझी, प्रोबेशन पदाधिकारी मुख्यालय। वेतन बैंड–2, 9300–34800, ग्रेड वेतन–4200 (पुनरीक्षित)	23.08.1997	23.08.2009	23.08.2009	PB–2, ग्रेड पे–4600/-	PB-3, ग्रेड पे–6600/-
7	श्री वीरेन्द्र प्रसाद, प्रोबेशन पदाधिकारी बंदी कल्याण पदाधिकारी, मुख्यालय। वेतन बैंड–2, 9300–34800, ग्रेड वेतन–4200 (पुनरीक्षित)	01.10.1997	01.10.2009	01.10.2009	PB–2, ग्रेड पे–4600/-	PB-3, ग्रेड पे–6600/-
8	श्री सिकंदर कुमार सिंह, प्रोबेशन पदाधिकारी जिला प्रोबेशन कार्यालय, किशनगंज। वेतन बैंड–2, 9300–34800, ग्रेड वेतन–4200 (पुनरीक्षित)	23.08.1997	23.08.2009	23.08.2009	PB–2, ग्रेड पे–4600/-	PB-3, ग्रेड पे–6600/-

इस आदेश के द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या–33 दिनांक–28.02.2013 एवं 103 दिनांक–17.03.2015 द्वारा निर्गत आदेश उपर्युक्त आठ (8) पदाधिकारियों के संबंध में संशोधित समझे जाएगें एवं पूर्व में वित्तीय उन्नयन के तहत् प्राप्त की अन्तर राशि स्तंभ–05 में अंकित देय तिथि तक सामायोजित कर ली जाएगी। अन्तर राशि का समायोजन नहीं होने की स्थिति में एक मुश्त वसूलनीय होगी।

स्तम्भ–07 में अंकित वेतनमान एवं ग्रेड पे का लाभ बिहार प्रोबेशन सेवा नियमावली गठित होने की तिथि 19.06.2014 से अनुमान्य होगा। परिवर्तित ग्रेड पे PB-3, 6600/- की मात्र अन्तर राशि भुगतेय होगी, यहाँ कोई निर्धारण लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटियाँ/पार्थक्य पाए जाने पर संबंधित आदेश रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

उपरोक्त आदेश एवं प्रारूप पर प्रधान सचिव महोदय, गृह विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

उपर्युक्त आदेश प्रारूप पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

3.8.16

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0),
बिहार, पटना।

D/-PINKU/-manjhi sir/-ADSUCHAN-27.04.2016

ज्ञापांकः—कारा/प्रो0 (स्था0)—10—66/14...224...पटना, दिनांक—...03/8/...2016।

प्रतिलिपिः—महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, गृह विभाग/महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषांगार/कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/बिहार प्रोबेशन सेवा के संबंधित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. महालेखाकार, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या—504 दिनांक—16.01.2014, संकल्प संख्या— 7201 दिनांक—19.08.2015 एवं संकल्प संख्या—8241 दिनांक—21.09.2015 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जाँच कर यथा अनुमान्य वेतन पूर्जा निर्गत किया जाए।

3.8.16

संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र0),
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः—कारा/प्रो0 (स्था0)—10—66/14...224...पटना, दिनांक—...03/8/...2016।

प्रतिलिपिः—आई0टी0मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3.8.16

संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्र0),
बिहार, पटना।

D/-PINKU/-manjhi sir/-ADSUCHAN-27.04.2016